न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 49/2009

दर्ज दिनांकः 07/09/2009

निर्णय दिनांक : 09/02/2018

संशोधित प्रार्थना पत्र

रामलाल पुत्र चन्दा जाति माली, निवासीः चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. सोन्या पुत्र भूरा जाति माली (फौत)

   1/1 नर्बदा बेवा सोन्या

   1/2 सत्यनारायण पुत्र सोन्या

   1/3 रतन पुत्र सोन्या

   1/4 मंगली पुत्री सोन्या

   1/5 बदाम पुत्री सोन्या

   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर।

2. तहसीलदार, तहसील फागी, जयपुर।

3. उपपंजीयक/उपतहसील माधोराजपुरा, तहसील फागी, जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वादी/प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद ठोस सबूतो के आधार पर मान्य न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा है। आराजी खतौनी संख्या 462 के खसरा नंबर 2119, 2120, 2121, 2122/2 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रार्थी संपूर्ण हिस्से का एवं खाता संख्या 423 के खसरा नंबर 340, 357, 360, 361, 365, 373, 376, 377 कुल किता 8 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम चांदमाकलां तहसील फागी में अप्रार्थी के दर्ज 1/2 हिस्से में प्रार्थी 1/2 हिस्से का अर्थात प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है एवं खाता संख्या 465 के खसरा नंबर 17, 109 कुल किता 2 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 871, 872, 879 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ग्राम चांदमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है भूमि में अप्रार्थी के दर्ज 1/2 हिस्से में प्रार्थी 1/2 हिस्सा अर्थात 1/4 हिस्सा का खातेदार है और प्रार्थी एवं अप्रार्थी उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है एवं अपने बुजुर्गो के समय से काश्त करते चले आ रहे है। सिजरा अनुसार घासी के दो लडके भूरा व चंदा थे जो विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। भूरा व चन्दा के पिता घासी का स्वर्गवास संवत् 2011 के पूर्व ही हो गया था और अपने पिता घासी की संपूर्ण भूमि पर भूरा व चंदा काबिज काश्त थे तथा उनके काबिज काश्त के आधार पर संवत् 2011 में संपूर्ण भूमि का पर्चा दोनो भाई भूरा व चन्दा के 1/2 हिस्से का जारी होना चाहिये लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो की गलती से कुछ भूमि का पर्चा अकेले भूरा के नाम जारी हो गया जबकि उक्त भूमि पर दोनो भाई संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं कुछ भूमि का पर्चा दोनो भाईयो के नाम 1/2–1/2 हिस्से का ही जारी हुआ था इस प्रकार भूरा व चन्दा दोनो भाई संपूर्ण भूमि पर 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे जिसमें कभी कोई विवाद नहीं रहा। खतौनी संख्या 296, 298, 299 का पर्चा दोनो भाई भूरा व चंदा के नाम से सही जारी हुआ था लेकिन गलती से खाता संख्या 295 व 297 वर्णित भूमि का पर्चा अकेले भूरा के नाम गलती से जारी हो गया उक्त भूमि का पर्चा भी दोनो भाईयो के नाम से जारी होना चाहिये था हालांकि कब्जा काश्त बदस्तूर दोनो भाईयो का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता चंदा ने भूरा को विवादित भूमि की खातेदारी अकेले उसके नाम होने पर उसका हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उसके नाम लगाने हेतु कहा तो भूरा ने कहा कि दोनो भाईयो का कब्जा काश्त बराबर बराबर चला आ रहा है उसके किस बात का डर है वह कभी भी चलकर उसका हिस्सा उसके नाम लगा देगा जिस पर पिता प्रार्थी चंदा ने विश्वास कर कोई कार्यवाही नहीं की और अंत में दोनो भाईयो का स्वर्गवास हो गया भूरा के मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई। अप्रार्थी के नाम उपरोक्त भूमि की खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् अप्रार्थी ने खाता संख्या 295 वर्तमान 462 पुरानी 422 में से खसरा नंबर 2123 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2122 में से 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि को जरिये विक्रय पत्र कालू पुत्र पांचू जाति जाट निवासीः चांदमाकला को विक्रय कर दी जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा कि उपरोक्त भूमि में उसका आधा हिस्सा है जिस पर अप्रार्थी ने कहा कि उसने उपरोक्त भूमि में से आधी भूमि ही विक्रय की है केवल 6 बिस्वा भूमि ज्यादा विक्रय की है वह शेष बची भूमि जिस पर उसका कब्जा है वह उसके नाम पूरी भूमि लगा देगा और शेष 6 बिस्वा भूमि किसी दीगर रकबे में से वह प्रार्थी को को दे देगा जिस पर प्रार्थी ने प्रतिवादी जो उसका भाई है तथा दोनो का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है अप्रार्थी के कथन पर विश्वास कर कोई कार्यवाही नहीं की उपरोक्त भूमि जो विक्रय की गई थी उसको शेष भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा पर प्रार्थी का कब्जा काश्त बदस्तूर था इसलिये प्रार्थी ने उक्त विक्रय पत्र के बाबत कोई आपत्ति नहीं की। विवादित भूमि वर्णित वाद पत्र में प्रार्थी ने अपना हिस्सा उसके नाम लगाने हेतु अप्रार्थी को कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि कब्जा काश्त उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का उसके पिता के समय से चला आ रहा है तथा वह काश्त कर रहा है किस बात का डर है वह कभी भी चलकर नाम करा देगा जिस पर विश्वास कर प्रार्थी ने कोई कार्यवाही नहीं की। विवादित भूमि में से खाता संख्या 468 के खसरा नंबर 17 व 109 की कुल 31 बीघा 16 बिस्वा पर प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता भूरा व चंदा दोनो संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे उक्त भूमि पडत थी तथा वह मवेशियो के चराने के काम में आती थी जिस पर दोनो भाईयो ने 1/2 हिस्से पर अपने अपने मवेशी चराते थे तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य हिस्सेदारान का था क्योकि उक्त भूमि की किस्म सिवायचक थी जिस पर 1/2 हिस्से पर दोनो भाई काबिज थे तथा उसका उपयोग उपभोग अपने अपने मवेशी चराकर काम में लेते थे इस आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी दोनो भाईयो भूरा व चंदा के नाम 1/2 हिस्से की होनी चाहिये थी लेकिन भूरा चालक किस्म का व

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

बडा होने से अकेले उसके नाम खातेदारी दर्ज हो गई जबकि कब्जा व उक्त दोनो भाई बदस्तूर संयुक्त रूप से उपयोग में लेते चले आ रहे है जिसमें प्रार्थी ने अपने हिस्से में अभी हाल फसल मूंगफली व सरसो काश्त की है। उपरोक्त वर्णित भूमि 31 बीघा 16 बिस्वा में अकेला 1/2 हिस्सा अप्रार्थी के नाम दर्ज होने पर प्रार्थी ने उनका हिस्सा 1/2 उसके नाम लगाने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि वह कभी भी चलकर उसका हिस्सा उसके नाम लगा देगा कब्जा काश्त बदस्तूर प्रार्थी का आधे हिस्से पर चला आ रहा है उसे किस बात का डर है जिस पर भी प्रार्थी ने विश्वास कर कोई कार्यवाही नहीं की। खातेदारी संख्या पुरानी 295 वर्तमान 462 में से अप्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने के पश्चात शेष बची भूमि संपूर्ण 1 किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का प्रार्थी खातेदार है उक्त भूमि में प्रार्थी की शेष बची 6 बिस्वा भूमि को प्रार्थी अप्रार्थी उसका भाई होने से 6 बिस्वा भूमि का प्रार्थी क्लेम त्याग अप्रार्थी को करता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उसके हिस्से की विवादित भूमि की खातेदारी उसके नाम लगाने हेतु लगातार कहता रहा तो अप्रार्थी हर बार कब्जा बदस्तूर दोनो व कभी भी चलकर उसका हिस्सा उसके नाम लगाने का विश्वास देकर हमेशा टालमटोल करता रहा और प्रार्थी के हिस्से को उनके नाम नहीं लगाया और अप्रार्थी हर बार प्रार्थी को विश्वास दिलाता रहा। अभी वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने से अप्रार्थी की नियत में फितूर हो गया और वह प्रार्थी के हिस्से को इंकार होने लगा है और आधे हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकिया देता है अप्रार्थी के उक्त कथन पर प्रार्थी ने दिनांक 10.02.2009 को उसका हिस्सा उसके नाम लगाने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं होने से स्पष्ट इंकार हो गया और कहा कि उपरोक्त भूमि की खातेदारी उसके नाम है वह आयन्दा प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में काश्त नहीं करने देगा विवादित भूमि की खातेदारी उसके नाम है वह यथाशीघ्र भूमि का विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल कर देगा। अप्रार्थी के उक्त कथन पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ और प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद पेश करे। अप्रार्थी अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गया तो प्रार्थी अपनी एकमात्र आजीविका से वंचित हो जावेगा तथा उसके बाल बच्चो के सामने भूखे मरने की नौबत आ जावेगी उसे काफी असहनीय क्षति होगी और जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी जिस पर प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला मूद वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में मजाहत नहीं स्वयं करे न अन्य से करावे तथा विवादित भूमि को किसी को विक्रय या हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 07.06.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी प्रस्तुत हुआ, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 12.09.2014 को प्रार्थी रामलाल स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 17 व 109 प्रार्थना पत्र से विड्रो किये जाने निवेदन किया। मूल वाद में प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार होने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 17 व 109 किता 2 रकबा 31.16 बीघा ग्राम चांदमाकलां को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से विड्रो किया गया। दिनांक 21.06.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को पक्षकार प्रतिवादी कायम किया गया। दिनांक 29.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.11.2017 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21.12. 2017 को वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी. सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वकील प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 28.12.2017 को वकील प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 02.02.2018 को वकील अप्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को ही संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब माने जाने का निवेदन अनुसार जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी, फागी — जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त आराजीयात स्वअर्जित सम्पत्ति है या पुश्तैनी एवं आराजीयात में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य विवाद न बढे इस हेतु मेरे विनम्र मत में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)